

**कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम**

क्रमांक : स्था / 2024 / 432

दिनांक:- 25 जनवरी, 2024

- : आ-दे-श : -

01 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक G//B-4(i)(a)/1/76/973 दिनांक 07.11.2023 एवं G//B-4(i)(a)/1/76/38 दिनांक 15.01.2024 द्वारा निम्नांकित सारणी में अंकित आशुलिपिक ग्रेड-III का निम्नांकित शर्तों के अधीन जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में रिक्त पदों पर अंतर-जिला न्यायक्षेत्र/पारस्परिक स्थानान्तरण का अनुमोदन किया गया है :-

- 1- प्रार्थी/प्रार्थिया को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 2- प्रार्थी/प्रार्थिया कार्यग्रहण काल का उपभोग नहीं कर सकेंगे।
- 3- प्रार्थी/प्रार्थिया स्थानान्तरित न्यायक्षेत्र में वरिष्ठता का क्लेम नहीं करेंगे।

अतः अंतर-जिला न्यायक्षेत्र/पारस्परिक स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप निम्नांकित आशुलिपिक ग्रेड-III का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालयों में निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	जयपुर महानगर-I में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है	CL Balance	RH Balance
01	02	03	04	05	06	07
01	Rajesh Kumar Jangir Ajmer Judgeship	17.01.2024 F/N	ACJ&MM No. 8	रिक्त पद पर	11	2
02	Rahul Yadav Bhilwara Judgeship	18.01.2024 F/N	Spl. MM (NI Act Cases) No. 15	रिक्त पद पर	15	2
03	Rohit Kumawat Jaipur District	17.01.2024 F/N	Spl. MM (NI Act Cases) No. 16	रिक्त पद पर	14	2
04	Deepak Agarwal Banswara Judgeship	17.01.2024 F/N	Spl. MM (NI Act Cases) No. 14	रिक्त पद पर	13	2
05	Manish Kumar Meena Banswara Judgeship	17.01.2024 F/N	ACJ&MM No. 7	रिक्त पद पर	13	2
06	Mahendra Verma Alwar Judgeship	20.01.2024 A/N	ACJ&MM No. 5	रिक्त पद पर	14	2
07	Nimisha Gupta Bhilwara Judgeship	On Maternity Leave	ACJ&MM No. 22 (Sanganer HQ)	रिक्त पद पर	15	-

नोट:-

- a) उक्त कर्मचारीगण का वेतन जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उक्त पदस्थापन न्यायालय से गत भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार आहरित किया जावेगा।
- b) उपरोक्त कर्मचारीगण का सारणी के कॉलम संख्या 03 में अंकित दिनांक से जयपुर महानगर-I न्यायक्षेत्र में कार्यग्रहण करने का इन्द्राज उनकी सेवा पुस्तिका में पदस्थापन न्यायालय द्वारा किया जावेगा। उक्त सारणी में क्रम संख्या 07 पर अंकित कर्मचारी के अवकाश पर होने के कारण इनके अतिरिक्त शेष कर्मचारीगण को आज दिनांक को मध्याह्न पश्चात् इस कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

02 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था/2024/337 दिनांक 18.01.2024 के क्रम में जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में नवनियुक्त निम्नांकित आशुलिपिक ग्रेड-III द्वारा सारणी के कॉलम संख्या 03 में अंकित दिनांक को जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत इनका पदस्थापन सारणी के कॉलम संख्या 04 में उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	जयपुर महानगर-I में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
01	02	03	04	05
1.	Lokesh Meena	19.01.24 A/N	ACJ&MM No. 16 (Bassi HQ)	रिक्त पद पर
2.	Somiya	20.01.24 F/N	ACJ&MM No. 3	रिक्त पद पर

*(Signature)*



क्र. सं.	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	जयपुर महानगर-1 में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
01	02	03	04	05
3.	Dilshad Khan	19.01.24 F/N	ACJ&MM No. 14	रिक्त पद पर
4.	Sanskriti Lakhera	20.01.24 F/N	ACJ&MM No. 4	रिक्त पद पर
5.	Nosheen Parveen	19.01.24 A/N	Spl.MM(NI Act) No.6	रिक्त पद पर
6.	Vikram Singh Gurjar	22.01.24 F/N	ACJ&MM No.23 (Sanganer HQ)	रिक्त पद पर
7.	Aashish Verma	23.01.24 F/N	ACJ&MM No. 20	रिक्त पद पर

**नोट:-**

- a) उक्त समस्त नव-नियुक्त आशुलिपिक ग्रेड-III का वेतन उनके जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उक्त पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा।
- b) उपरोक्त कर्मचारीगण का सारणी के कॉलम संख्या 03 में अंकित दिनांक से जयपुर महानगर-1 न्यायक्षेत्र में कार्यग्रहण करने के इन्द्राज सहित उनकी सेवा पुस्तिका पदस्थापन न्यायालय द्वारा तैयार की जावेगी।
- c) उक्त नव-नियुक्त आशुलिपिक ग्रेड-II द्वारा जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आदिनांक तक किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग नहीं किया गया है। उपरोक्त कर्मचारीगण को आज दिनांक को मध्याह्न पश्चात् इस कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है।
- 03 निम्नांकित सारणी में अंकित कर्मचारीगण के पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्य-निष्पादन बाबत आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं:-

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया गया था
01	02	03	04
01	सौभाग सिंह मूड आशुलिपिक ग्रेड-I	Family Court No. 4	ACJ&MM No. 8
02	जितेन्द्र कुमार शर्मा आशुलिपिक ग्रेड-II	ACMM No. 1	ACJ&MM No. 16 (Bassi HQ)
03	श्रीकृष्ण शर्मा आशुलिपिक ग्रेड-II	ACMM No. 7	ACJ&MM No. 7
04	प्रीति कंवर आशुलिपिक ग्रेड-II	ACMM No. 14 (Sanganer HQ)	ACJ&MM No. 5

- 04 प्रशासनिक कारणों से जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
1.	प्रीति कंवर आशुलिपिक ग्रेड-II	ACMM No. 14 (Sanganer HQ)	ACMM No. 2	रिक्त पद पर

- 05 जयपुर महानगर-1 में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में कार्य-निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है
01	02	03	04
01	जितेन्द्र कुमार शर्मा आशुलिपिक ग्रेड-II	ACMM No. 1	ADJ Bassi

**नोट:-**

- a) उक्त कर्मचारीगण का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारीगण अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।

*(Signature)*



b) उक्त कर्मचारीगण को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जाकर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायी जावे।

संबंधित कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्ति से पूर्व संबंधित वर्ष अवधि के लिये वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-1 की पूर्ति कर पीटासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जो 7 दिवस के भीतर भाग-11 की पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

*Sd/r*  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था / 2024 / 432

दिनांक:- 24 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा/तामील शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
- 02 संबंधित न्यायालय/कर्मचारी ....., जयपुर महानगर-प्रथम
- 03 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 04 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी .....
- 05 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली /रक्षित पत्रावली

*Sd/r*  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
जयपुर महानगर-प्रथम